आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

कमांकःएफ.4(340)शै.कार्यभार/अकाद/आकाशि/2014-15/1226 दिनांक 09 अक्टूबर 2020

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय :- शैक्षणिक कार्यभार 2019-20 की स्प्रेड शीट "Revised work load 2019-20" भरने बाबत।
सन्दर्भः- :एफ.4(340)शै.कार्यभार/अकाद/आकाशि/2014-15/1213 दिनांक 01.10.2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि कार्यभार गणना हेतु भरवाई गई स्प्रेड शीट " Revised work load 2019-20" में कुछ महाविद्यालयों द्वारा भरी गई सूचनाएं सही नहीं पाई गई है। इसमें भरे जाने वाले कॉलम जिसका टाइटल "**Work load as per norms in Subject(count in period)**" की सूचना में उस विषय के प्रति सप्ताह कुल कालांशों की संख्या भरी जानी है। हिन्दी अनिवार्य व अंग्रेजी अनिवार्य विषय के कार्यभार को इसी स्प्रेड शीट के कॉलम संख्या **HG से HR** में अलग से भरा जाना है, इसके अलावा प्रारम्भिक कम्प्यूटर विज्ञान व पर्यावरण अध्ययन का कार्यभार इसमें नहीं जोडा जाना है।

स्ववित्तपोषित योजना (SFS) अन्तर्गत विषय/पाठयक्रमों के कार्यभार को इसमें शामिल नही करना है। "**No. of Working faculty members (in Subject)**" वाले कॉलम में उस विषय में आपके महाविद्यालय में पदस्थापित संकाय सदस्यों की संख्या भरी जानी है। कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए संकाय सदस्यों की गणना उनके वेतन आहरित करने वाले महाविद्यालयों में की जानी है।

इसके अलावा पूरी स्प्रेड शीट के अन्य कॉलमों में भरी गई सूचना भी जाँच लेवे। कतिपय यह पाया गया है कि महाविद्यालय में विषय संचालित नहीं होने के बावजूद भी इस स्प्रेड शीट में सूचनाएं भरी हुई है।

कार्यभार गणना के अनुसार संकाय सदस्यों की संख्या की गणना निम्नानुसार की जावेंः-

प्राचार्य - 05 कालांश प्रति सप्ताह
उपाचार्य-- 09 कालांश प्रति सप्ताह
स्नातकोत्तर विभाग प्रभारी- 14 कालांश प्रति सप्ताह
स्नातकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन करवाने वाले अधिकतम 05 संकाय सदस्य का कार्यभार - 16 प्रति संकाय सदस्य प्रति सप्ताह
अन्य स्नातकोत्तर व स्नातक कक्षाओं का अध्यापन कराने वाले संकाय सदस्यों का कार्यभार - 18 प्रति संकाय सदस्य प्रति सप्ताह

सभी प्राचार्यो को पुनः निर्देशित किया जाता है कि इसमें भरी गई सूचनाओं को जाँच ले। इसमें भरी सूचनाओं की जिम्मेदारी व्यक्तिशः प्राचार्य की होगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे दिनांक 11.10.2020 तक भरना सुनिशचित करे।

भवदीय,
9/10/2020
(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

प्रतिलिपि-

1. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय। कृपया आयुक्तालय की बेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
2. समस्त प्रभारी अधिकारी, कॉलेज समूह, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर को निर्देशानुसार प्रति भेजकर लेख है कि अपने संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यो से सम्पर्क कर "Revised work load 2019-20" में चाही गई सूचना को अविलम्ब भरवायें।

9/10/2020
(डॉ.दीपक मेहरा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)